


परीख हुकम	हुकम वा कारवाही नय इनिश्चित जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत हुकम
	<p>प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच दर्ज किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवश्यक प्रवृत्ति का होने के कारण एवं बारिश होने, फसल बोन के बाद पत्थरगढी किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उन्होंने निवेदन किया एक पक्षीय कार्य वाही करते हुए पत्थरगढी के आदेश किया जावे। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 का भी अध्ययन किया।</p> <p>“सीमा विवाद-सीमाओ से सम्बन्धित सभी विवाद भू-अभिलेख अधिकार द्वारा धारा 111 से अधिकथित रीति से विनिश्चित किये जायेंगे।”</p> <p>‘परन्तु खेतो की सीमाओ सम्बन्धित आवेदन उन मामलो में तहसीलदार को दिये जायेंगे और उसके द्वारा निपटाये जायेंगे जहाँ ऐसी सीमाओं के बारे में कोई विवाद नहीं है किन्तु समुचित सीमा चिन्ह की अभाव में ऐसा विवाद उठने की संभावना है।’</p> <p>हम यह मानते हैं कि पत्थरगढी/सीमा ज्ञान का कार्य फसल कटने के बाद किया जाता है। माह मई और जून में मौके पर खेत खाली होने के कारण पत्थरगढी हेतु यह समय उपयुक्त हैं विपक्षी को नोटिस तामिल कराने में समय लगने की संभावना होने के कारण तहसीलदार निम्बाहेडा दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी किया जाना एवं विवाद होने की स्थिति में पत्थरगढी न्यायालय द्वारा सुनवायी की जाकर, किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः तहसीलदार को मोका कमीश्नर इस आशय से नियुक्त किया जाता है कि दोनो पक्षो को समूचित सूचना पत्र जारी करते हुए दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी किया जाना सुनिश्चित करें कि दोनो पक्षो में विवाद होने की स्थिति में या विपक्षी द्वारा असहमति प्रकट करने की स्थिति में या विपक्षी द्वारा अपना पक्ष लिखित रखने की स्थिति में तहसीलदार निम्बाहेडा को दोनो पक्षो को इस बाबत समूचित सूचित करे कि दिनांक 29-5-23 को न्यायालय हाजा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा में प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तहसीलदार की वस्तु स्थिति रिपोर्ट, पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 29-5-23 को पेश हो।</p>	
29 ⁵ / ₂₃	<p>पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार द्वारा पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई। पत्रावली वाले इंजायर तहसीलदार की पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 28/5/23 को पेश हो।</p>	
28 ⁵ / ₂₃	<p>पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पालना रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी की गई। अब पत्रावली में कोई कारवाही शेष नहीं है। हमने पत्रावली का अध्ययन। तहसीलदार द्वारा पत्रावली रिपोर्ट का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में अब कोई कारवाही शेष नहीं है। तहसीलदार द्वारा पत्रावली के दिनांक 25/5/23 को रिपोर्ट पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा